

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में
सी.एम.पी. संख्या 435/2019

तारकेश्वर सिंह

--- याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

--- उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन।

माध्यम : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री राज कुमार सिंह, अधिवक्ता।

उत्तरदाता की ओर से : श्री अमृत राज किस्कू, एल एंड सी-III के ए.सी

03/17.12.2021: यह याचिका डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 3818 /2018 की पुनर्बहाली के लिए दायर की गई है, जिसे दिनांक 24.01.2019 के आदेश का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि उन्होंने सभी दोषों को दूर कर दिया, लेकिन वे इस न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अवधि के भीतर दोष संख्या 1 को दूर नहीं कर सके। वे आगे निवेदन करते हैं कि जैसे ही इस रिट याचिका को पुनर्बहाल किया जाएगा, वे दोष संख्या 1 को भी दूर कर देंगे। वे बिना शर्त माफी मांगते हैं।

उपरोक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका में की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है। फलस्वरूप, तीन सप्ताह के भीतर रिट याचिका में रजिस्ट्री द्वारा बताए गए दोष

को दूर करने का निर्देश देते हुए डब्ल्यूपी (एस) संख्या 3818/2018 को उसकी मूल फाइल में बहाल किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया.)

अनु/-CP2.